विधान सभा
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली
LEGISLATIVE ASSEMBLY
NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

विशेषाधिकर समिति

COMMITTEE OF PRIVILEGES

आठवीं विधान सभा का द्वितीय प्रतिवेदन (अंतरिम प्रतिवेदन)

SECOND REPORT(INTERIM REPORT) OF THE EIGHTH ASSEMBLY

23.03.2026 **को प्रस्तुत**

PRESENTED ON 23.03.2026

27.03.2026 **को स्वीकुत**

ADOPTED ON 27.03.20226

विधान सभा, पुराना सचिवालय, दिल्ली–**110054**

Legislative Assembly, Old Secretariat, Delhi-110054

COMMITTEE OF PRIVILEGES
(2025-2026)

Shri Parduymn Singh Rajput	**Chairperson**

MEMBERS

2. Shri Abhay Kumar Verma
3. Shri Ajay Mahawar
4. Shri Neeraj Basoya
5. Shri Ram Singh Netaji
6. Shri Ravi Kant
7. Shri Satish Upadhyay
8. Shri Surendra Kumar
9. Shri Surya Prakash Khatri

Assembly Secretariat

1.	Shri Ranjeet Singh, IAS	Secretary (LAS)
2.	Shri Sadanand Sah	Deputy Secretary (Legislation)
3.	Shri Ravinder Kumar	Section Officer (Legislation)
4.	Shri Raghu Nath	Section Officer (Legislation)

INTRODUCTION

I, the Chairperson of the Committee of Privileges having been authorized by the Committee to present its **Second Report** (Interim Report) on their behalf before the House in the matter of "Authenticity of Faansi Ghar" 2022 in Delhi Legislative Assembly Premises.

The First Report of Committee of Privileges was presented on 06.01.2026 and adopted by the House on 09.01.2026.

The Committee held sittings on 16.02.2026 and 06.03.2026 to consider the matter. The Report of the Committee was adopted in its Sitting held on 19.03.2026.

The Committee appreciates the cooperation and valuable assistance rendered by the Officers and staff of the Assembly Secretariat during its sittings as also in the preparation of the Report.

The committee authorized the Chairpersons and in his absence Shri Abhay Kumar Verma, Hon'ble Chief Whip/Hon'ble Member of the Committee for presenting the Report of the Committee in the House.

Place: Delhi
Dated:19.03.2026

(Parduymn Singh Rajput)
Chairperson
Committee of privileges

R E P O R T

Brief Facts:

On 07th August 2025, the Hon'ble Speaker referred to the Committee of Privileges, the matter regarding the authenticity of the existence of a 'Faansi Ghar' in the Delhi Assembly and its inauguration on 09th August 2022, for investigation.

The Committee had called Shri Arvind Kejriwal, the then Hon'ble Chief Minister; Shri Manish Sisodia, the then Hon'ble Deputy Chief Minister, Shri Ram Niwas Goel, the then Hon'ble Speaker and Smt. Rakhi Birla, the then Hon'ble Deputy Speaker to appear before the Committee and provide their views including any information regarding the authenticity of the existence of the 'Faansi Ghar'. However, none of them appeared before the Committee in its sittings held on 13th November' 2025 and 20th November, 2025.

The Committee after examining their replies and contentions reported to the House (First Report adopted by the House on 9th January 2026 available at **Annexure-I** and online at https://delhiassembly.delhi.gov.in/sites/default/files/2026-01/privilege060126.pdf) with the conclusion that: "*From the above narration of events, it is evident that Shri Arvind Kejriwal, Shri Manish Sisodia, Shri Ram Niwas Goel and Smt. Rakhi Birla had deliberately and willfully chosen to stay away from the proceedings of the Committee of Privileges in spite of being provided adequate clarifications, opportunity and time. They were very much aware that the High Court had not passed any directions or orders in this matter. In fact, their Advocates had not even sought any such interim relief, before the Court during the proceedings. All the four of them were purposefully using the pretext of the court proceedings to avoid appearing before the Committee.* The Committee reported to the House that *"the action of Shri*

Arvind Kejriwal, Shri Manish Sisodia, Shri Ram Niwas Goel and Smt. Rakhi Birla to not appear before the Committee constitutes contempt of the House and its Committee".

The Committee made the following recommendations:

"Recommendations:

1. *The Committee recommends that the House may take proper action as deemed fit against Shri Arvind Kejriwal, Shri Ram Niwas Goel, Shri Manish Sisodia and Smt. Rakhi Birla for their wilful absence from the sittings of the Committee of Privileges which were scheduled for 13th November 2025 and 20th November 2025 without just cause or permission of the Committee.*

2. *As regards the main matter which was referred to the Committee by the Hon'ble Speaker, regarding the authenticity of the existence of 'faansi ghar', the Committee shall continue its examination of the parties and witnesses and submit a Report in the next session."*

The House agreed with the recommendations of the Committee and adopted the Report in its sitting held on 9th January 2026. The House also adopted the following Motion in this regard:

"That this House agrees with the Recommendations contained in the First Report of the Committee of Privileges presented to the House on 6th January 2026:

That this House directs Shri Arvind Kejriwal, Shri Ram Niwas Goel, Shri Manish Sisodia and Smt. Rakhi Birla to appear in person before the Committee of Privileges as and when summoned and:

(i) *Explain their absence from the sittings of the Committee which were scheduled on 13th November 2025 and 20th November 2025; and*

(ii) *Provide any information or documents that may be in their possession to the Committee of Privileges for establishing the authenticity of the existence of a 'Faansi Ghar' in the Assembly precincts.*

That in the event of Shri Arvind Kejriwal, Shri Ram Niwas Goel, Shri Manish Sisodia and Smt. Rakhi Birla failing to appear before the Committee of Privileges as and when summoned, the Hon'ble Speaker may take any necessary steps to enforce their attendance."

The Secretariat forwarded the copy of the Report to Shri Arvind Kejriwal, Shri Ram Niwas Goel, Shri Manish Sisodia and Smt. Rakhi Birla on 27th January 2026. Vide notice/ summons issued on 07.02.2026 they were asked to appear before the Committee on 16.02.2026 and submit any written statement in advance to the Committee if deemed necessary.

However, in identically worded replies received on the day of the sitting, Shri Arvind Kejriwal, Shri Manish Sisodia and Smt. Rakhi Birla expressed their inability to be present for the sitting and sought a later date. In their replies, they *inter alia* stated that:

1. They had immense respect for the Legislative Assembly of Delhi and its Committees, however all institution and bodies function under the Constitution of India and operate under the constitutionally defined limits.
2. The Delhi Assembly and its Committee does not have any jurisdiction over the issue "authenticity" of the "Faansi Ghar".

3. They had nothing to say on the issue of “authenticity” of “Faansi Ghar” and it can be determined on the administrative side of the Vidhan Sabha Secretariat.

Shri Ram Niwas Goel, also sought exemption from appearing on 16.02.2026 on the pretext that he was pre-occupied till 20.02.2026.

Keeping in view the replies, the Committee, in all fairness and in the interest of natural justice, decided to give a final opportunity to Shri Arvind Kejriwal, Shri Manish Sisodia, Shri Ram Niwas Goel and Smt. Rakhi Birla to appear before the Committee. The Committee decided to call them on 06.03.2026 as requested by them.

Shri Arvind Kejriwal, Shri Ram Niwas Goel and Smt. Rakhi Birla appeared and deposed before the Committee on 06.03.2026. Shri Manish Sisodia, however, sent intimation just before the Committee was scheduled to begin its sitting, stating that he could not be present for the sitting as he had to leave urgently on 05.03.2026.

The Committee shall report on the issue of authenticity of the ‘Faansi Ghar’ in its final Report later after examining the available records and the written/oral submissions of Shri Arvind Kejriwal, Shri Manish Sisodia, Shri Ram Niwas Goel and Smt. Rakhi Birla.

In the present interim Report, the Committee intends to limit its findings on the issue of contempt committed by Shri Arvind Kejriwal, Shri Manish Sisodia, Shri Ram Niwas Goel and Smt. Rakhi Birla by not appearing before the Committee in its sittings.

Observations and Conclusion:

As mentioned earlier, the Committee had already given its findings to the House that Shri Arvind Kejriwal, Shri Manish Sisodia, Shri Ram Niwas Goel and Smt. Rakhi Birla, were in contempt of the House due to their wilful and deliberate absence from the sittings of the Committee held on 13.11.2025 and 20.11.2025. The House agreed to the findings of the Committee. However, the House in its collective wisdom had decided to give one more opportunity to them and seek their explanation for their absence.

The First Report of the Committee and the decision of the House through the Motion adopted on 09.01.2026 was communicated to Shri Arvind Kejriwal, Shri Manish Sisodia, Shri Ram Niwas Goel and Smt. Rakhi Birla by the Assembly Secretariat, vide its letter dated 27.01.2026. Thereafter vide letter dated 07.02.2026, their written comments were sought to explain their absence from the sittings of the Committee which were scheduled on 13th November 2025 and 20th November 2025, as directed by the House.

Shri Arvind Kejriwal, Shri Manish Sisodia and Smt. Rakhi Birlar replied on 16.02.2026. However, they failed to mention any reason for their non-appearance before the Committee in its sittings held on 13.11.2025 and 20.11.2025. Instead, the reply repeated their contentions as to how the Assembly and its Committee lacked jurisdiction and that there was no issue of privilege involved in the matter of the 'Faansi Ghar'. They had also mentioned Supreme Court judgements in support of his contention.

In his deposition before the Committee on 06.03.2026 Shri Arvind Kejriwal reiterated the same and stated that he did not appear before the

Committee because he was of the opinion that the Committee lacked jurisdiction in this matter and because his petition in this matter was pending before the Hon'ble High Court. He added that when the Committee did not agree to his request for keeping the matter pending till the decision of the Hon'ble High Court, he was now appearing before the Committee.

Shri Manish Sisodia did not appear before the Committee on 06.03.2026.

Shri Ram Niwas Goel, in his deposition on 06.03.2026 stated that he had no solid grounds for his non-appearance.

Smt. Rakhi Birla in her deposition on 06.03.2026 stated that she stands with her written comments submitted earlier to the Committee and had nothing more to add on the issue of non-appearance before the Committee.

The Hon'ble Chairperson in his opening remarks in the sitting of the Committee held on 06.03.2026 had categorically stated and clarified that the Committee was only interested in knowing:

(i) Explanation for their contemptuous action of wilful absence from the Committee sittings; and

(ii) whether they had any information or documents in their possession that could help establish the existence of the 'Faansi Ghar' and the Committee was not examining whether any breach of privilege or contempt was involved or not at this juncture.

The Chairman also informed Shri Arvind Kejriwal, Shri Ram Niwas Goel and Smt.Rakhi Birla that the judgments of the Hon'ble Supreme Court (viz., Amrinder Singh v. Punjab Vidhan Sabha, Sita Soren v. Union

of India and Raja Ram Pal v. Hon'ble Speaker, Lok Sabha & Ors.) mentioned in their replies, had been taken on record and the Committee would study them and report to the House accordingly.

As and when Shri Arvind Kejriwal, Shri Sisodia, Shri Ram Niwas Goel and Smt. Rakhi Birla had taken the plea that the matter be kept deferred till the decision of the Hon'ble High Court (14.11.2025 and 19.11.2025), they were informed that the Hon'ble High Court had not passed any interim directions/ orders and that the sittings of the Committee shall be held as scheduled and that he should comply with the summons and appear in person. In fact, the Hon'ble High Court itself in its order dated 24th November 2025 [WP (C) 17025/2025], clarified that it had *'not yet passed any interim order, and is in the process of hearing arguments on the maintainability of the present petition'*. The matter is still before the Hon'ble High Court and the next date of hearing is scheduled for 4th April 2026.

From the written submissions of Shri Arvind Kejriwal, Shri Manish Sisodia, Shri Ram Niwas Goel and Smt. Rakhi Birla and oral deposition of Shri Arvind Kejriwal, Shri Ram Niwas Goel and Smt. Rakhi Birla before the Committee, it was evident that they had no valid reason for defying the summons of the Committee other than the fact that a writ petition was pending before the Hon'ble High Court. The Committee had responded to their pleas on these grounds and stated that they should appear before the Committee, especially as the Court had not given any interim relief or directions. The Committee would have definitely examined their requests for exemption from appearance on any other valid reason. In fact, when they sought exemption from the sitting of 16th February, 2026, the Committee accommodated their requests and deferred the sitting to 06th March 2026.

Neither the reference of the matter to the Committee by the Hon'ble Speaker, nor in any correspondences/ notices, did the Committee accuse or seek explanation of Shri Kejriwal on breach of privilege or contempt in the 'Faansi Ghar' matter. The Committee had been entrusted with the task of investigating the authenticity of the existence of a 'Faansi Ghar' in the Delhi Assembly and they were only required to assist the Committee by providing any information or documents in his possession, if any, because they were closely associated with its inauguration.

Recommendations:

The Committee has already dealt in detail in its First Report as to why it held Shri Arvind Kejriwal, Shri Manish Sisodia, Shri Ram Niwas Goel and Smt. Rakhi Birla to be in contempt of the House and its Committee. In spite of the House providing them another opportunity, they still failed to provide any satisfactory explanation for defying the summons of the Committee and non-appearance in its sittings held on 13.11.2025 and 20.11.2025. The Committee, therefore, holds Shri Arvind Kejriwal, Shri Manish Sisodia, Shri Ram Niwas Goel and Smt. Rakhi Birla in contempt of the House and the Committee for their deliberate and wilful absence.

Shri Manish Sisodia did not appear on 06th March 2026 also and submitted a very late response to the Committee on the date of the sitting, just before the scheduled commencement of the sitting. He stated that he had to leave Delhi on 05.03.2026 at short notice *"due to an urgent and unavoidable requirement"*. However, as he had expressed regret and apologized for his absence, the Committee decided to not recommend any action against him for his absence on 06th March 2026.

Shri Arvind Kejriwal, Shri Manish Sisodia, Shri Ram Niwas Goel and Smt. Rakhi Birla are all former elected Members of the Delhi Assembly and had held important responsibilities. As experienced legislators they ought to have set an example by co-operating with the Committee instead of defying it. They should have been well aware of the consequences of defying the directions of the Committee and the House.

The Committee recommends that the House may take proper action as deemed fit against Shri Arvind Kejriwal, Shri Ram Niwas Goel, Shri Manish Sisodia and Smt. Rakhi Birla for their wilful absence from the sittings of the Committee of Privileges which were scheduled for 13th November 2025 and 20th November 2025 without just cause or permission of the Committee.

Delhi
Date: 19.03.2026

(Parduymn Singh Rajput)
Chairperson
Committee of Privileges

विधान सभा
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली

विशेषाधिकर समिति

आठवीं विधान सभा का द्वितीय प्रतिवेदन (अंतरिम प्रतिवेदन)

23.03.2026 को प्रस्तुत

27.03.2026 को स्वीकृत

विधान सभा, पुराना सचिवालय, दिल्ली–110054

विशेषाधिकार समिति
(2025–2026)

श्री प्रद्युम्न सिंह राजपूत — सभापति

सदस्य गण

2. श्री अभय कुमार वर्मा
3. श्री अजय महावर
4. श्री नीरज बसोया
5. श्री राम सिंह नेताजी
6. श्री रविकांत
7. श्री सतीश उपाध्याय
8. श्री सुरेन्द्र कुमार
9. श्री सूर्यप्रकाश खत्री

<u>विधानसभा सचिवालयः</u>

1. श्री रंजीत सिंह	सचिव
2. श्री सदानंद साह	उप सचिव (विधायी)
3. श्री रविन्द्र कुमार	अनुभाग अधिकारी (विधायी)
4. श्री रघु नाथ	अनुभाग अधिकारी (विधायी)

प्रस्तावना

मैं, विशेषाधिकार समिति का अध्यक्ष, समिति द्वारा अधिकृत होने के उपरांत, दिल्ली विधानसभा परिसर में वर्ष 2022 में स्थापित "फाँसी घर की प्रामाणिकता" के संबंध में समिति की द्वितीय रिपोर्ट (अंतरिम रिर्पोट) सदन के समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ।

विशेषाधिकार समिति की प्रथम रिपोर्ट दिनांक 06.01.2026 को प्रस्तुत की गई थी और दिनांक 09.01.2026 को सदन द्वारा इसे स्वीकार किया गया।

समिति ने इस विषय पर विचार करने के लिए दिनांक 16.02.2026 तथा 06.03.2026 को बैठकें आयोजित कीं। समिति की रिपोर्ट 19.03.2026 को हुई बैठक में स्वीकृत की गई।

समिति अपनी बैठकों के दौरान तथा इस रिपोर्ट की तैयारी में विधानसभा सचिवालय के अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा प्रदान किए गए सहयोग और बहुमूल्य सहायता की सराहना करती है।

समिति ने अध्यक्ष को तथा उनके अनुपस्थित रहने की स्थिति में श्री अभय कुमार वर्मा, माननीय मुख्य सचेतक / समिति के माननीय सदस्य को सदन में समिति की रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए अधिकृत किया है।

(प्रद्युम्न सिंह राजपूत)
अध्यक्ष
विशेषाधिकार समिति

स्थानः दिल्ली

दिनांक : 19-03-2026

रिपोर्ट

संक्षिप्त तथ्यः

07 अगस्त 2025 को, माननीय अध्यक्ष ने दिल्ली विधानसभा में 'फांसी घर' के होने और 09 अगस्त 2022 को इसके उद्‌घाटन के मामले को जांच के लिए विषेशाधिकार समिति को भेजा था।

समिति ने तत्कालीन माननीय मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल, तत्कालीन माननीय उप मुख्यमंत्री श्री मनीष सिसोदिया, तत्कालीन माननीय अध्यक्ष श्री राम निवास गोयल और तत्कालीन माननीय उपाध्यक्षा श्रीमती राखी बिड़ला को समिति के सामने पेश होने और 'फांसी घर' के होने के बारे में कोई भी जानकारी देने के लिए बुलाया था। लेकिन, उनमें से कोई भी 13 नवंबर 2025 और 20 नवंबर, 2025 को हुई समिति की बैठकों में पेश नहीं हुआ।

समिति ने उनके जवाबों और दलीलों की जांच करने के बाद सदन को रिपोर्ट दी (पहली रिपोर्ट जिसे सदन ने 9 जनवरी 2026 को अपनाया था, जो Annexure-I पर और ऑनलाइन https://delhiassembly.delhi.gov.in/sites/default/files/2026-01/privilege060126.pdf पर उपलब्ध है) इस नतीजे के साथ किः "ऊपर बताई गई घटनाओं से यह साफ है कि श्री अरविंद केजरीवाल, श्री मनीष सिसोदिया, श्री राम निवास गोयल और श्रीमती राखी बिड़ला ने जानबूझकर विशेषाधिकार समिति की कार्यवाही से दूर रहने का फैसला किया, जबकि उन्हें स्पष्टीकरण देने के लिए प्रर्याप्त मौके और समय दिया गया था। वे अच्छी तरह जानते थे कि उच्च न्यायालय ने इस मामले में कोई निर्देश या आदेश नहीं दिया था। असल में, उनके वकीलों ने कार्यवाही के दौरान न्यायालय के सामने ऐसी कोई अंतरिम राहत भी नहीं मांगी थी। वे चारों जानबूझकर समिति के सामने पेश होने से बचने के लिए न्यायालय की कार्यवाही का बहाना बना रहे थे। समिति ने सदन को बताया कि "श्री अरविंद केजरीवाल, श्री मनीष सिसोदिया, श्री राम निवास गोयल और श्रीमती राखी बिड़ला का समिति के सामने पेश न होना सदन और उसकी समिति की अवमानना है"।

समिति ने ये सुझाव दिए :

"सिफारिशें:

1. समिति सुझाव देती है कि सदन श्री अरविंद केजरीवाल, श्री राम निवास गोयल, श्री मनीष सिसोदिया और श्रीमती राखी बिड़ला के खिलाफ उचित कार्रवाई कर सकता है, क्योंकि वे 13

नवंबर 2025 और 20 नवंबर 2025 को होने वाली विषेशाधिकार समिति की बैठकों से बिना किसी उचित कारण या समिति की इजाजत के जानबूझकर गैरहाजिर रहे।

2. जहाँ तक उस महत्वपूर्ण मामले का सवाल है जिसे माननीय अध्यक्ष महोदय ने समिति को सौंपा था यानी 'फाँसी घर' के अस्तित्व की प्रामाणिकता से जुड़ा मामला, समिति संबंधित पक्षों और गवाहों की जाँच–पड़ताल जारी रखेगी और अगले सत्र में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी।"

सदन ने समिति की सिफारिशों से सहमति जताई और 9 जनवरी 2026 को हुई अपनी बैठक में रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया। सदन ने इस संबंध में निम्नलिखित प्रस्ताव भी पारित कियाः

"कि यह सदन विशेषाधिकार समिति की पहली रिपोर्ट में निहित उन सिफारिशों से सहमत है, जो 6 जनवरी 2026 को सदन के समक्ष प्रस्तुत की गई थींः

कि यह सदन श्री अरविंद केजरीवाल, श्री राम निवास गोयल, श्री मनीष सिसोदिया और श्रीमती राखी बिड़ला को निर्देश देता है कि वे जब भी तलब किए जाएँ, विशेषाधिकार समिति के समक्ष व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हों औरः

(i) समिति की उन बैठकों में अपनी अनुपस्थिति का स्पष्टीकरण दें, जो 13 नवंबर 2025 और 20 नवंबर 2025 को निर्धारित थीं; और

(ii) विधानसभा परिसर में 'फाँसी घर' के अस्तित्व की प्रामाणिकता सिद्ध करने हेतु, अपने पास उपलब्ध कोई भी जानकारी या दस्तावेज विशेषाधिकार समिति को उपलब्ध कराएँ।

कि यदि श्री अरविंद केजरीवाल, श्री राम निवास गोयल, श्री मनीष सिसोदिया और श्रीमती राखी बिड़ला, तलब किए जाने पर भी विशेषाधिकार समिति के समक्ष उपस्थित होने में विफल रहते हैं, तो माननीय अध्यक्ष महोदय उनकी उपस्थिति सुनिश्चित करने हेतु कोई भी आवश्यक कदम उठा सकते हैं।"

सचिवालय ने 27 जनवरी 2026 को रिपोर्ट की एक प्रति श्री अरविंद केजरीवाल, श्री राम निवास गोयल, श्री मनीष सिसोदिया और श्रीमती राखी बिड़ला को प्रेषित कर दी। 07.02.2026 को जारी नोटिस/समन के माध्यम से, उनसे 16.02.2026 को समिति के समक्ष उपस्थित होने तथा यदि आवश्यक समझें तो समिति को अपना कोई भी लिखित बयान पहले से ही प्रस्तुत करने को कहा गया।

तथापि, बैठक के दिन प्राप्त हुए हूबहू एक जैसे शब्दों में लिखे गए जवाबों में, श्री अरविंद केजरीवाल, श्री मनीष सिसोदिया और श्रीमती राखी बिड़ला ने बैठक में उपस्थित होने में अपनी असमर्थता

व्यक्त की और किसी अन्य बाद की तारीख का अनुरोध किया। अपने जवाबों में उन्होंने अन्य बातों के साथ–साथ यह भी कहा किः

1. उन्हें दिल्ली की विधानसभा और उसकी समितियों के लिए बहुत सम्मान था, लेकिन सभी संस्थाएँ और निकाय भारत के संविधान के तहत काम करते हैं और संविधान द्वारा तय सीमाओं के भीतर ही काम करते हैं।

2. दिल्ली विधानसभा और उसकी समिति के पास ''फाँसी घर की प्रामाणिकता'' के मुद्दे पर कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है।

3. ''फाँसी घर की प्रामाणिकता'' के मुद्दे पर उनके पास कहने के लिए कुछ नहीं था और इसका फैसला विधानसभा सचिवालय के प्रशासनिक पक्ष से किया जा सकता है।

श्री राम निवास गोयल ने भी 16.02.2026 को पेश होने से यह कहते हुए छूट मांगी कि वे 20.02.2026 तक व्यस्त रहेंगे।

जवाबों को ध्यान में रखते हुए, समिति ने पूरी निष्पक्षता और नैसर्गिक न्याय के हित में, श्री अरविंद केजरीवाल, श्री मनीष सिसोदिया, श्री राम निवास गोयल और श्रीमती राखी बिड़ला को समिति के सामने पेश होने का एक आखिरी मौका देने का फैसला किया। समिति ने उन्हें 06.03.2026 को बुलाने का फैसला किया, जैसा कि उन्होंने अनुरोध किया था।

श्री अरविंद केजरीवाल, श्री राम निवास गोयल और श्रीमती राखी बिड़ला 06.03.2026 को समिति के सामने पेश हुए और अपना बयान दिया। हालाँकि, श्री मनीष सिसोदिया ने समिति की बैठक शुरू होने से ठीक पहले सूचना भेजी, जिसमें कहा गया था कि वे बैठक में मौजूद नहीं हो सकते क्योंकि उन्हें 05.03.2026 को अचानक कहीं जाना पड़ा था।

समिति उपलब्ध रिकॉर्ड और श्री अरविंद केजरीवाल, श्री मनीष सिसोदिया, श्री राम निवास गोयल और श्रीमती राखी बिड़ला के लिखित/मौखिक बयानों की जाँच करने के बाद, अपनी अंतिम रिपोर्ट में ''फाँसी घर की प्रामाणिकता'' के मुद्दे पर रिपोर्ट देगी।

इस अंतरिम रिपोर्ट में, समिति अपनी जाँच को श्री अरविंद केजरीवाल, श्री मनीष सिसोदिया, श्री राम निवास गोयल और श्रीमती राखी बिड़ला द्वारा समिति की बैठकों में पेश न होकर की गई अवमानना के मुद्दे तक ही सीमित रखना चाहती है।

टिप्पणियाँ और निष्कर्षः

जैसा कि पहले बताया गया है, समिति ने सदन को पहले ही अपनी जाँच के नतीजे बता दिए थे कि श्री अरविंद केजरीवाल, श्री मनीष सिसोदिया, श्री राम निवास गोयल और श्रीमती राखी बिड़ला दिनांक 13.11.2025 और 20.11.2025 को हुई समिति की बैठकों से जान–बूझकर और सोची–समझी गैर–हाजिरी के कारण सदन की अवमानना के लिए दोषी पाए गए। सदन ने समिति के निष्कर्षों से सहमति जताई। हालाँकि, सदन ने अपने सामूहिक विवेक से उन्हें एक और अवसर देने और उनकी गैर–हाजिरी के लिए उनसे स्पष्टीकरण मांगने का निर्णय लिया।

समिति की पहली रिपोर्ट और दिनांक 09.01.2026 को पारित प्रस्ताव के माध्यम से सदन के निर्णय की जानकारी विधानसभा सचिवालय द्वारा अपने पत्र दिनांक 27.01.2026 के जरिए श्री अरविंद केजरीवाल, श्री मनीष सिसोदिया, श्री राम निवास गोयल और श्रीमती राखी बिड़ला को दी गई। इसके बाद, सदन के निर्देशानुसार, पत्र दिनांक 07.02.2026 के माध्यम से, समिति की उन बैठकों में उनकी अनुपस्थिति का स्पष्टीकरण देने के लिए उनसे लिखित टिप्पणियाँ माँगी गईं, जो 13 नवंबर 2025 और 20 नवंबर 2025 को निर्धारित थीं।

श्री अरविंद केजरीवाल, श्री मनीष सिसोदिया और श्रीमती राखी बिड़ला ने 16.02.2026 को अपना जवाब दिया। हालाँकि, वे 13.11.2025 और 20.11.2025 को संपन्न हुई समिति की बैठकों में उपस्थित न होने का कोई ठोस कारण बताने में असफल रहे। इसके बजाय, उनके जवाब में उन्हीं तर्कों को दोहराया गया कि किस प्रकार विधानसभा और उसकी समिति के पास इस मामले में क्षेत्राधिकार का अभाव है और यह कि 'फाँसी घर' के मामले में विशेषाधिकार का कोई मुद्दा शामिल नहीं है। उन्होंने अपने इस तर्क के समर्थन में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों का भी उल्लेख किया था।

दिनांक 06.03.2026 को समिति के समक्ष अपनी गवाही में, श्री अरविंद केजरीवाल ने उन्हीं बातों को दोहराया और कहा कि वे समिति के समक्ष इसलिए उपस्थित नहीं हुए थे, क्योंकि उनकी राय में इस मामले में समिति के पास क्षेत्राधिकार का अभाव था, क्योंकि इस मामले में उनकी याचिका माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित थी। उन्होंने आगे कहा कि जब समिति ने माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय आने तक इस मामले को लंबित रखने के उनके अनुरोध को स्वीकार नहीं किया, तो अब वे समिति के समक्ष उपस्थित हो रहे हैं।

श्री मनीष सिसोदिया दिनांक 06.03.2026 को समिति के समक्ष उपस्थित नहीं हुए।

श्री राम निवास गोयल ने दिनांक 06.03.2026 को अपनी गवाही में कहा कि उनके उपस्थित न होने का उनके पास कोई ठोस आधार नहीं था।

श्रीमती राखी बिड़ला ने दिनांक 06.03.2026 को अपनी गवाही में कहा कि वह समिति को पहले सौंपे गए अपने लिखित बयानों पर कायम हैं और समिति के सामने पेश न होने के मुद्दे पर उन्हें और कुछ नहीं कहना है।

माननीय सभापति ने दिनांक 06.03.2026 को संपन्न हुई समिति की बैठक में अपने शुरुआती संबोधन में स्पष्ट रूप से कहा और साफ किया था कि समिति केवल यह जानने में दिलचस्पी रखती है:

(i) समिति की बैठकों से जान–बूझकर अनुपस्थित रहने के उनके अवमाननापूर्ण कृत्य का स्पष्टीकरण; और

(ii) क्या उनके पास कोई ऐसी जानकारी या दस्तावेज हैं जो 'फांसी घर' के अस्तित्व को साबित करने में मदद कर सकेंऔर समिति इस समय इस बात की जांच नहीं कर रही थी कि विशेषाधिकार का कोई हनन या अवमानना हुई है या नहीं।

सभापति ने श्री अरविंद केजरीवाल, श्री राम निवास गोयल और श्रीमती राखी बिड़ला को यह भी बताया कि उनके जवाबों में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के जिन फैसलों (यानी, अमरिंदर सिंह बनाम पंजाब विधानसभा, सीता सोरेन बनाम भारत संघ और राजा राम पाल बनाम माननीय अध्यक्ष, लोकसभा और अन्य) का जिक्र किया गया था, उन्हें रिकॉर्ड पर ले लिया गया है और समिति उनका अध्ययन करेगी और उसी के अनुसार सदन को रिपोर्ट देगी।

जब भी श्री अरविंद केजरीवाल, श्री सिसोदिया, श्री राम निवास गोयल और श्रीमती राखी बिड़ला ने यह दलील दी कि इस मामले को माननीय उच्च न्यायालय के फैसले (14.11.2025 और 19.11.2025) आने तक टाल दिया जाए, तो उन्हें बताया गया कि माननीय उच्च न्यायालय ने कोई अंतरिम निर्देश/आदेश पारित नहीं किया है और समिति की बैठकें तय कार्यक्रम के अनुसार ही होंगी तथा उन्हें समन का पालन करना चाहिए और व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होना चाहिए। वास्तव में, माननीय हाई कोर्ट ने स्वयं अपने 24 नवंबर 2025 के आदेश [WP (C) 17025/2025] में यह स्पष्ट किया था कि उसने *'अभी तक कोई अंतरिम आदेश पारित नहीं किया है, और वह वर्तमान याचिका की स्वीकार्यता पर दलीलें सुनने की प्रक्रिया में है'*। यह मामला अभी भी माननीय हाई कोर्ट के समक्ष लंबित है और सुनवाई की अगली तारीख 4 अप्रैल 2026 तय की गई है।

श्री अरविंद केजरीवाल, श्री मनीष सिसोदिया, श्री राम निवास गोयल और श्रीमती राखी बिड़ला के लिखित जवाबों तथा समिति के समक्ष श्री अरविंद केजरीवाल, श्री राम निवास गोयल और श्रीमती राखी बिड़ला के मौखिक बयानों से यह स्पष्ट था कि समिति के समन की अवहेलना करने का उनके पास कोई वैध कारण नहीं था, सिवाय इसके कि माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष एक रिट याचिका लंबित थी। समिति ने इन्हीं आधारों पर उनकी दलीलों का जवाब दिया और कहा कि उन्हें समिति के समक्ष उपस्थित होना चाहिए, विशेष रूप से इसलिए क्योंकि कोर्ट ने कोई अंतरिम राहत या निर्देश नहीं दिया था। यदि कोई अन्य वैध कारण होता, तो समिति निश्चित रूप से उपस्थिति से छूट के उनके अनुरोधों पर विचार करती। दरअसल, जब उन्होंने 16 फरवरी, 2026 की बैठक से छूट मांगी, तो समिति ने उनके अनुरोध को मान लिया और बैठक को 06 मार्च, 2026 तक के लिए टाल दिया।

न तो माननीय अध्यक्ष द्वारा इस मामले को समिति के पास भेजने के दौरान, और न ही किसी पत्राचार/नोटिस में, समिति ने 'फांसी घर' मामले में विशेषाधिकार हनन या अवमानना को लेकर श्री केजरीवाल पर कोई आरोप लगाया और न ही उनसे कोई स्पष्टीकरण मांगा। समिति को दिल्ली विधानसभा में 'फांसी घर' के अस्तित्व की प्रामाणिकता की जांच करने का काम सौंपा गया था, और उनसे केवल यह अपेक्षा की गई थी कि वे अपने पास उपलब्ध कोई भी जानकारी या दस्तावेज (यदि कोई हो) उपलब्ध कराकर समिति की सहायता करें, क्योंकि वे इसके उद्‌घाटन से निकटता से जुड़े हुए थे।

सिफारिशें:

समिति ने अपनी पहली रिपोर्ट में पहले ही विस्तार से बताया है कि उसने श्री अरविंद केजरीवाल, श्री मनीष सिसोदिया, श्री राम निवास गोयल और श्रीमती राखी बिड़ला को सदन और उसकी समिति की अवमानना का दोषी क्यों माना है। सदन द्वारा उन्हें एक और अवसर दिए जाने के बावजूद, वे समिति के समन की अवहेलना करने और 13.11.2025 तथा 20.11.2025 को आयोजित बैठकों में उपस्थित न होने के लिए कोई संतोषजनक स्पष्टीकरण देने में विफल रहे। इसलिए, समिति श्री अरविंद केजरीवाल, श्री मनीष सिसोदिया, श्री राम निवास गोयल और श्रीमती राखी बिड़ला को उनकी जानबूझकर और स्वेच्छा से अनुपस्थिति के लिए सदन और समिति की अवमानना का दोषी मानती है।

श्री मनीष सिसोदिया 06 मार्च 2026 को भी उपस्थित नहीं हुए और उन्होंने समिति को बैठक की तारीख को, बैठक के निर्धारित समय से ठीक पहले, बहुत देर से जवाब सौंपा। उन्होंने कहा कि उन्हें 05.03.2026 को ''एक तत्काल और अपरिहार्य आवश्यकता के कारण'' बिना किसी पूर्व सूचना के दिल्ली छोड़ना पड़ा। हालाँकि, उन्होंने अपनी अनुपस्थिति के लिए खेद व्यक्त किया था और माफी मांगी थी, इसलिए समिति ने 06 मार्च 2026 को उनकी अनुपस्थिति के लिए उनके खिलाफ कोई कार्रवाई न करने का निर्णय लिया।

श्री अरविंद केजरीवाल, श्री मनीष सिसोदिया, श्री राम निवास गोयल और श्रीमती राखी बिड़ला सभी दिल्ली विधानसभा के पूर्व निर्वाचित सदस्य हैं और उन्होंने महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाई हैं। अनुभवी विधायकों के रूप में, उन्हें समिति की अवहेलना करने के बजाय उसके साथ सहयोग करके एक उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिए था। उन्हें समिति और सदन के निर्देशों की अवहेलना करने के परिणामों के बारे में भली–भांति पता होना चाहिए था।

समिति यह सिफारिश करती है कि सदन दिनांक 13 नवंबर 2025 और 20 नवंबर 2025 को निर्धारित विशेषाधिकार समिति की बैठकों से बिना किसी उचित कारण या समिति की अनुमति के जानबूझकर अनुपस्थित रहने के लिए श्री अरविंद केजरीवाल, श्री राम निवास गोयल, श्री मनीष सिसोदिया तथा श्रीमती राखी बिड़ला के विरुद्ध उपयुक्त कार्रवाई करे, जैसा उचित समझे।

Pradyuman

दिल्ली
दिनांकः 19.03.2026

(प्रद्युम्न सिंह राजपूत)
अध्यक्ष
विशेषाधिकार समिति

Annexure - I

विधान सभा सचिवालय
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली
LEGISLATIVE ASSEMBLY SECRETARIAT
NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

आठंवी विधान सभा
(EIGHTH LEGISLATIVE ASSEMBLY)

विशेषाधिकार समिति का प्रथम प्रतिवेदन
(06 जनवरी, 2026 को प्रस्तुत)

FIRST REPORT OF COMMITTEE OF PRIVILEGES
(PRESENTED ON 06 JANUARY, 2026)

विधान सभा, पुराना सचिवालय, दिल्ली–110054
Legislative Assembly, Old Secretariat, Delhi-110054

DELHI LEGISLATIVE ASSEMBLY
PRIVILEGE COMMITTEE

समिति का गठन
COMPOSITION OF THE COMMITTEE

1.	श्री प्रद्युम्न सिंह राजपूत Shri Parduymn Singh Rajput	सभापति Chairperson
2.	श्री अभय कुमार वर्मा Shri Abhay Kumar Verma	सदस्य Member
3.	श्री अजय कुमार महावर Shri Ajay Kumar Mahawar	सदस्य Member
4.	श्री नीरज बसोया Shri Neeraj Basoya	सदस्य Member
5.	श्री राम सिंह नेताजी Shri Ram Singh Netaji	सदस्य Member
6.	श्री रवि कांत Shri Ravi Kant	सदस्य Member
7.	श्री सतीश उपाध्याय Shri Satish Upadhyay	सदस्य Member
8.	श्री सुरेन्द्र कुमार Shri Surendra Kumar	सदस्य Member
9.	श्री सूर्य प्रकाश खत्री Shri Surya Prakash Khatri	सदस्य Member

विधान सभा सचिवालय:
Assembly Secretariat:

1.	श्री रंजीत सिंह Shri Ranjeet Singh	सचिव Secretary
2.	श्री सदानंद साह Shri Sadanand Sah	उप सचिव (विधायी) Deputy Secretary (Legislation)
3.	श्री रविन्द्र कुमार Shri Ravinder Kumar	अनुभाग अधिकारी Section Officer
4.	श्री रघु नाथ Shri Raghu Nath	अनुभाग अधिकारी Section Officer

INTRODUCTION

I, the Chairperson of the Committee of Privileges having been authorized by the Committee to present its First Report on their behalf before the House in the matter of "Authenticity of Faansi Ghar" which was inaugurated on 9th August, 2022 in Delhi Legislative Assembly Premises.

The Committee held sittings on 13.11.2025 and 20.11.2025 to consider the matter.

The Committee appreciates the cooperation and valuable assistance rendered by the Officers and staff of the Assembly Secretariat during its sittings as also in the preparation of the Report.

The Committee authorized the Chairperson and in his absence Shri Abhay Verma, Hon'ble Chief Whip/Hon'ble Member of the Committee for presenting the Report of the Committee in the House.

(Parduymn Singh Rajput)
Chairperson
Committee of Privileges

Place: Delhi

Date: 30.12.2025

Brief Facts:

On 09th August 2022, a ceremony was organised within the precincts of the Delhi Assembly for *'unveiling of the Faansi Ghar after restoration'* (जीर्णोद्धार के उपरांत फांसी घर का अनावरण). Shri Arvind Kejriwal, the then Chief Minister of Delhi was the Chief Guest of the ceremony presided over by Shri Ram Niwas Goel, the then Speaker, Delhi Assembly. Shri Manish Sisodia, the then Deputy Chief Minister and Smt. Rakhi Birla, the then Deputy Speaker were the Guests of Honour in the ceremony. The event was widely covered and reported by the media. The venue became a major source of interest and was enthusiastically visited by delegations and general public.

After assuming Office in February 2025, Shri Vijender Gupta, Hon'ble Speaker initiated various steps to preserve the heritage of the Delhi Assembly building which holds a very important place in the history of our independence struggle; the objective being to declare the Delhi Assembly building as a heritage Monument of National Importance.

During the course of this exercise, it was found that there was no authentic historical evidence which showed that a 'Faansi Ghar' ever existed in the Delhi Assembly premises. On the contrary as per information received from the National Archives, it was revealed that the space which had been claimed as the 'Faansi Ghar' was in fact a Tiffin Room.

Under Rule 271 the Hon'ble Speaker apprised the House of the factual position on 5th August 2025. The House discussed the issue on 5th, 6th and 7th August 2025. 22 Members, including the Hon'ble Chief Minister Hon'ble Ministers and Members of the Opposition, expressed their views on the subject. Taking the sense of the House, the Hon'ble Speaker referred the matter to the Committee of Privileges for thorough investigation.

Details of Committee Proceedings:

On 9th September 2025, the Assembly Secretariat issued a letter to Shri Arvind Kejriwal, Shri Ram Niwas Goel, Shri Manish Sisodia, and Smt. Rakhi Birla with the request to send their written comments regarding the *"authenticity of the existence of the Faansi Ghar'."* Vide letters dated 19th September 2025, 25th September, 2025 and 29th September, 2025 all the four replied to the Secretariat *inter alia* challenging the jurisdiction of the Committee and that there was no breach of privilege.

On 04th November 2025, Shri Arvind Kejriwal, Shri Ram Niwas Goel, Shri Manish Sisodia, and Smt. Rakhi Birla were informed that their replies had been taken on record and would be dealt by the Committee appropriately in its sitting. Further they were requested to appear in person before the Committee's sitting which was scheduled for 13th November 2025 and that they could submit any *"written statement (including any information regarding the authenticity of the existence of the 'Faansi Ghar') in advance to the Committee."* Formal summons were also issued and they were also informed that non-compliance of the summons could lead to initiation of proceedings for breach of privilege/contempt of the Assembly.

Shri Arvind Kejriwal and Shri Manish Sisodia filed a writ before the Hon'ble High Court [WP (C) 17025/2025] praying for the quashing of the Committee's letter, notice and summons for the sitting scheduled for 13th November 2025. The maintainability of the Writ was challenged by the Counsels for the Assembly and Committee. The Hon'ble Court did not allow any interim relief and decided to hear the parties on the maintainability first.

None of the four appeared before the sitting of the Committee which was held on 13th November 2025. No intimation was received regarding their absence till the end of the day. The Committee expressed its concern over their absence but decided to accord one more opportunity to them for recording their deposition. As directed by the Committee, Shri Arvind Kejriwal, Shri Ram Niwas Goel, Shri Manish Sisodia, and Smt. Rakhi Birla were informed vide letter and summons dated 13th November, 2025 about the decision of the Committee and again requested to appear in person before the Committee's sitting scheduled for 20th November 2025.

On 14th November 2025 two identical letters dated 13th November 2025 were received by the Secretariat through Speed Post from Shri Talha Abdul Rehman representing Shri Arvind Kejriwal and Shri Manish Sisodia respectively. The letters sought to defer the proceedings of the Committee on the grounds that the matter was before the High Court and that the proceedings be deferred till the outcome of the judicial proceedings. Vide letters dated 14th November 2025, Shri Arvind Kejriwal and Shri Manish Sisodia were informed that Summons and Notice for the next sitting had already been issued. They were also informed that as the Hon'ble High Court had not passed any directions in contrary, the sitting shall proceed as scheduled.

On the next date of sitting, i.e. 20th November 2025 also none of the four appeared before the Committee. Instead, they once again wrote letters stating that the

sitting be deferred till the outcome of the judicial proceedings. They also claimed that such deferrals were in line with the convention followed by earlier committees of the House and those of the Parliamentary Committees. Interestingly, Shri Ram Niwas Goel and Smt. Rakhi Birla had not even filed any writ and stated that they intended to approach the High Court and hence the proceedings should be deferred. In spite of the Secretariat promptly replying to them and conveying that the sitting would proceed as scheduled, they chose to not appear before the Committee on 20th November 2025 also. The Committee members expressed their concern and authorised the Chairperson to decide the future course of action.

The Hon'ble High Court heard the arguments on the maintainability of the WP (C) 17025/2025, next on 24th November 2025. On the attention of the Hon'ble Court being drawn to the fact that the petitioners were avoiding their appearance before the Committee citing the pendency of the proceedings, the Hon'ble Court clarified that it had *'not yet passed any interim order, and is in the process of hearing arguments on the maintainability of the present petition'.* Arguments in this regard were heard on 12th December 2025 and the next date of hearing is 8th January 2026.

Observations and Conclusion:

From the above narration of events, it is evident that Shri Arvind Kejriwal, Shri Manish Sisodia, Shri Ram Niwas Goel and Smt. Rakhi Birla had deliberately and wilfully chosen to stay away from the proceedings of the Committee of Privileges in spite of being provided adequate clarifications, opportunity and time. They were very much aware that the High Court had not passed any directions or orders in this matter. In fact, their Advocates had not even sought any such interim relief, before the Court during the proceedings. All the four of them were purposefully using the pretext of the court proceedings to avoid appearing before the Committee.

Section 18(3) of the Government of the National Capital Territory of Delhi, Act, 1991 provides that the powers, privileges and immunities of the Legislative Assembly, its Members and its Committees shall be such as are being enjoyed by the House of People (Lok Sabha), its Members and Committees. This provision is similar to Article 105(3) in respect of the Parliament's powers. As per Rule 172 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Legislative Assembly of NCT of Delhi, the Committees have the power to take evidence, call for papers, records or documents.

The following extract from the treatise, 'Practice and Procedure of Parliament-MN Kaul and SL Shakdher' is relevant in this regard and is reproduced below:

"Disobedience of Orders of the House or its Committees

Disobedience to the orders of the House, whether such orders are of general application or require a particular individual to do or abstain from doing a particular act is a contempt of the House. Disobedience to the orders of a Committee of the House is treated as a contempt of the House itself, provided the order disobeyed is within the scope of the Committee's authority. To prevent, delay, obstruct or interfere with the execution of the orders of the House or a Committee thereof is also a contempt of the House.

Examples of contempt are— refusal or neglect of a witness or any other person, summoned to attend the House or a Committee thereof, to attend;"

The power of the Assembly and its Committees to summon persons, both members and non-members and compel their attendance, if need be, has been upheld even by the courts. Most recently, in the Ajit Mohan & Ors. v. Legislative Assembly of NCT of Delhi & Ors. [2021 INSC 324. WP(C) 1088/2020] the Hon'ble Supreme Court has upheld these powers of the Assembly and its Committees in a matter involving the Delhi Assembly's Committee itself.

Shri Arvind Kejriwal, Shri Manish Sisodia, Shri Ram Niwas Goel and Smt. Rakhi Birla had also mentioned in their correspondences with the Secretariat that the deferral of proceedings was in line with the convention followed by earlier committees of the House as also of the convention of the Committees of the Parliament. It is a fact that the Committees have deferred its sittings to accommodate the requests of the parties or witnesses, if sought on genuine grounds. However, there is no convention or precedent of a sitting being deferred on the request of the parties on the grounds that a court matter is pending especially when the Hon'ble Court has not passed any directions to that effect.

As former Members and dignitaries who were well aware of the events leading to the opening of the 'Faansi Ghar', it was their bounden duty to appear before the Committee and assist it in ascertaining the veracity of the claim that a 'Faansi Ghar' ever existed in the Assembly premises. By failing to do so, in spite of the Committee providing them adequate opportunity and time, they have hampered the Committee from fulfilling the duty cast upon it by the House. The Committee had clearly informed them that the grounds on which they were seeking the deferral of the sitting was not

justified. In such a situation, in the opinion of this Committee, the action of Shri Arvind Kejriwal, Shri Manish Sisodia, Shri Ram Niwas Goel and Smt. Rakhi Birla to not appear before the Committee constitutes contempt of the House and its Committee

Recommendations:

1. The Committee recommends that the House may take proper action as deemed fit against Shri Arvind Kejriwal, Shri Ram Niwas Goel, Shri Manish Sisodia and Smt. Rakhi Birla for their wilful absence from the sittings of the Committee of Privileges which were scheduled for 13th November 2025 and 20th November 2025 without just cause or permission of the Committee.

2. As regards the main matter which was referred to the Committee by the Hon'ble Speaker, regarding the authenticity of the existence of 'faansi ghar', the Committee shall continue its examination of the parties and witnesses and submit a Report in the next session.

Delhi
Date: 30.12.2025

(Parduymn Singh Rajput)
Chairperson
Committee of Privileges

संक्षिप्त तथ्यः

09 अगस्त, 2022 को, दिल्ली विधानसभा परिसर में *'जीर्णोद्धार के उपरांत फांसी घर का अनावरण'* के लिए एक समारोह आयोजित किया गया था। दिल्ली के तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल इस समारोह के मुख्य अतिथि थे, जिसकी अध्यक्षता दिल्ली विधानसभा के तत्कालीन अध्यक्ष श्री राम निवास गोयल ने की थी। तत्कालीन उपमुख्यमंत्री श्री मनीष सिसोदिया और तत्कालीन उपाध्यक्ष श्रीमती राखी बिड़ला इस समारोह में विशिष्ट अतिथि थे। इस कार्यक्रम को मीडिया ने व्यापक रूप से कवर किया और रिपोर्ट किया। यह स्थान लोगों के लिए आकर्षण का मुख्य केंद्र बन गया और प्रतिनिधिमंडलों और आम जनता ने उत्साहपूर्वक इसका दौरा किया।

फरवरी, 2025 में पदभार ग्रहण करने के बाद, माननीय अध्यक्ष श्री विजेंद्र गुप्ता ने दिल्ली विधानसभा भवन की विरासत को संरक्षित करने के लिए विभिन्न कदम उठाए, जिसका हमारे स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण स्थान हैं। इसका उद्देश्य दिल्ली विधानसभा भवन को राष्ट्रीय महत्व का विरासत स्मारक घोषित करना था।

इस प्रक्रिया के दौरान, यह पाया गया कि ऐसा कोई प्रामाणिक ऐतिहासिक प्रमाण नहीं था जो यह दर्शाता हो कि दिल्ली विधानसभा परिसर में कभी कोई 'फांसी घर' मौजूद था। इसके विपरीत, राष्ट्रीय अभिलेखागार से प्राप्त जानकारी के अनुसार, यह पता चला कि जिस स्थान को 'फांसी घर' होने का दावा किया गया था, वह वास्तव में एक टिफिन रूम था।

नियम 271 के तहत, माननीय अध्यक्ष ने 5 अगस्त, 2025 को सदन को वास्तविक स्थिति से अवगत कराया। सदन ने 5, 6 और 7, अगस्त 2025 को इस मुद्दे पर चर्चा की। माननीय मुख्यमंत्री, माननीय मंत्रियों और प्रतिपक्ष के सदस्यों सहित 22 सदस्यों ने इस विषय पर अपने विचार व्यक्त किए। सदन की गरिमा को ध्यान में रखते हुए, माननीय अध्यक्ष ने मामले को गहन जांच के लिए विशेषाधिकार समिति को सौंप दिया।

समिति की कार्यवाही का विवरणः

9 सितंबर, 2025 को, विधानसभा सचिवालय ने श्री अरविंद केजरीवाल, श्री राम निवास गोयल, श्री मनीष सिसोदिया और श्रीमती राखी बिड़ला को एक पत्र जारी कर उनसे *"फांसी घर के अस्तित्व की प्रामाणिकता"* के संबंध में अपनी लिखित टिप्पणियां भेजने का अनुरोध किया। 19 सितंबर, 2025, 23 सितंबर, 2025 तथा 29 सितंबरए 2025 के पत्रों के जरिए, चारों ने सेक्रेटेरिएट को जवाब दिया, जिसमें उन्होंने कमेटी के अधिकार क्षेत्र को चुनौती दी और कहा कि विशेषाधिकार का कोई उल्लंघन नहीं हुआ है।

04 नवंबर, 2025 को, श्री अरविंद केजरीवाल, श्री राम निवास गोयल, श्री मनीष सिसोदिया और श्रीमती राखी बिड़ला को सूचित किया गया कि उनके जवाब रिकॉर्ड पर ले लिए गए हैं और समिति अपनी बैठक में उन पर उचित कार्रवाई करेगी। इसके अलावा, उनसे अनुरोध किया गया कि वे 13 नवंबर, 2025 को होने वाली समिति की बैठक में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हों और वे समिति को पहले से कोई *"लिखित बयान (जिसमें 'फांसी घर' के अस्तित्व की प्रामाणिकता के बारे में कोई भी जानकारी शामिल हो)"* जमा कर सकते हैं। औपचारिक समन भी जारी किए गए और उन्हें यह भी सूचित किया गया कि समन का पालन न करने पर विशेषाधिकार / विधानसभा की अवमानना की कार्यवाही शुरू की जा सकती है।

श्री अरविंद केजरीवाल और श्री मनीष सिसोदिया ने माननीय उच्च न्यायालय में एक Writ [WP (C) 17025/2025] दायर की, जिसमें 13 नवंबर, 2025 को होने वाली बैठक के लिए समिति के पत्र, नोटिस और समन को रद्द करने की प्रार्थना की गई थी। विधानसभा और समिति के वकीलों ने रिट की स्वीकार्यता को चुनौती दी। माननीय न्यायालय ने कोई अंतरिम राहत नहीं दी और पहले स्वीकार्यता पर पक्षों को सुनने का फैसला किया।

चारों में से कोई भी 13 नवंबर, 2025 को हुई समिति की बैठक में उपस्थित नहीं हुआ। दिन के अंत तक उनकी अनुपस्थिति के बारे में कोई सूचना नहीं मिली। समिति ने उनकी अनुपस्थिति पर चिंता व्यक्त की, लेकिन उन्हें अपना बयान दर्ज कराने के लिए एक और अवसर देने का फैसला किया। समिति के निर्देशानुसार, श्री अरविंद केजरीवाल, श्री राम निवास गोयल, श्री मनीष सिसोदिया और श्रीमती राखी बिड़ला को 13 नवंबर, 2025 के पत्र और समन के माध्यम से समिति के फैसले के बारे में सूचित किया गया और उनसे फिर से 20 नवंबर, 2025 को होने वाली समिति की बैठक में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने का अनुरोध किया गया।

14 नवंबर, 2025 को सचिवालय को स्पीड पोस्ट के माध्यम से श्री तलहा अब्दुल रहमान से 13 नवंबर, 2025 की तारीख के दो समान पत्र प्राप्त हुए, जो क्रमशः श्री अरविंद केजरीवाल और श्री मनीष सिसोदिया का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। पत्रों में कमेटी की कार्यवाही को टालने की मांग की गई थी, इस आधार पर कि मामला हाई कोर्ट में है और न्यायिक कार्यवाही का नतीजा आने तक कार्यवाही को टाल दिया जाए। 14 नवंबर, 2025 के पत्रों के जरिए श्री अरविंद केजरीवाल और श्री मनीष सिसोदिया को बताया गया कि अगली बैठक के लिए समन और नोटिस पहले ही जारी किए जा चुके हैं। उन्हें यह भी बताया गया कि क्योंकि माननीय हाई कोर्ट ने इसके विपरीत कोई निर्देश नहीं दिया है, इसलिए बैठक तय समय के अनुसार ही होगी।

अगली बैठक जिसकी तारीख 20 नवंबर 2025 थी, को भी चारों में से कोई भी कमेटी के सामने पेश नहीं हुआ। इसके बजाय, उन्होंने एक बार फिर पत्र लिखकर कहा कि न्यायिक कार्यवाही के नतीजे आने तक बैठक को टाल दिया जाए। उन्होंने यह भी दावा किया कि इस तरह का स्थगन सदन की पिछली कमेटियों और संसदीय कमेटियों द्वारा अपनाई गई परंपरा के अनुसार था। दिलचस्प बात यह है कि श्री राम निवास गोयल और

श्रीमती राखी बिड़ला ने कोई रिट भी दायर नहीं की थी और कहा था कि वे हाई कोर्ट जाना चाहते हैं और इसलिए कार्यवाही को टाल दिया जाना चाहिए। सचिवालय द्वारा उन्हें तुरंत जवाब देने और यह बताने के बावजूद कि बैठक तय समय के अनुसार होगी, उन्होंने 20 नवंबर, 2025 को भी कमेटी के सामने पेश न होने का फैसला किया। कमेटी के सदस्यों ने अपनी चिंता व्यक्त की और सभापति को भविष्य की कार्रवाई तय करने का अधिकार दिया।

माननीय हाई कोर्ट ने 24 नवंबर, 2025 को WP (C) 17025/2025 की स्वीकार्यता पर दलीलें सुनीं। जब माननीय कोर्ट का ध्यान इस तथ्य की ओर दिलाया गया कि याचिकाकर्ता कार्यवाही लंबित होने का हवाला देकर कमेटी के सामने पेश होने से बच रहे हैं, तो माननीय कोर्ट ने स्पष्ट किया कि उसने *'अभी तक कोई अंतरिम आदेश पारित नहीं किया है और वर्तमान याचिका की स्वीकार्यता पर दलीलें सुनने की प्रक्रिया में है'।* इस संबंध में दलीलें 12 दिसंबर, 2025 को सुनी गईं और अगली सुनवाई की तारीख 8 जनवरी 2026 है।

अवलोकन और निष्कर्ष:

उपरोक्त तथ्यों के विवरण से यह स्पष्ट है कि श्री अरविंद केजरीवाल, श्री मनीष सिसोदिया, श्री राम निवास गोयल और श्रीमती राखी बिड़ला ने पर्याप्त स्पष्टीकरण, अवसर और समय दिए जाने के बावजूद जानबूझकर और स्वेच्छा से विशेषाधिकार समिति की कार्यवाही से दूर रहने का फैसला किया। उन्हें अच्छी तरह पता था कि हाई कोर्ट ने इस मामले में कोई निर्देश या आदेश पारित नहीं किया है। वास्तव में, उनके वकीलों ने कार्यवाही के दौरान कोर्ट से ऐसी कोई अंतरिम राहत भी नहीं मांगी थी। वे चारों जानबूझकर कमेटी के सामने पेश होने से बचने के लिए कोर्ट की कार्यवाही का बहाना बना रहे थे।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली गवर्नमेंट एक्ट, 1991 की धारा 18(3) में यह बताया गया है कि विधानसभा, उसके सदस्यों और उसकी कमेटियों की शक्तियां, विशेषाधिकार और छूट वैसी ही होंगी जैसी लोकसभा, उसके सदस्यों और कमेटियों को मिलती हैं। यह प्रावधान संसद की शक्तियों के संबंध में अनुच्छेद 105(3) जैसा ही है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली की विधानसभा में कामकाज के नियमों के नियम 172 के अनुसार, कमेटियों के पास सबूत लेने, कागजात, रिकॉर्ड या दस्तावेज मंगवाने की शक्ति है।

इस संबंध में *'प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑफ पार्लियामेंट–एमएन कौल और एसएल शकधर'* ग्रंथ से लिया गया निम्नलिखित अंश प्रासंगिक है और इसे नीचे दिया गया है:

"सदन या उसकी समितियों के आदेशों की अवहेलना

सदन के आदेशों की अवहेलना, चाहे ऐसे आदेश सामान्य रूप से लागू हों या किसी विशेष व्यक्ति को कोई विशेष कार्य करने या न करने के लिए कहें, सदन की अवमानना है। सदन की किसी समिति के आदेशों की अवहेलना को स्वयं सदन की अवमानना माना जाता है, बशर्ते कि जिस आदेश की अवहेलना की गई है, वह समिति के अधिकार क्षेत्र में हो।

सदन या उसकी किसी समिति के आदेशों के निष्पादन को रोकना, विलंबित करना, बाधित करना या उसमें हस्तक्षेप करना भी सदन की अवमानना है।

अवमानना के उदाहरण हैं–सदन या उसकी किसी समिति में उपस्थित होने के लिए बुलाए गए किसी गवाह या किसी अन्य व्यक्ति का उपस्थित होने से इनकार करना या उपेक्षा करना;"

विधानसभा और उसकी समितियों की सदस्यों और गैर–सदस्यों दोनों को बुलाने और यदि आवश्यक हो तो उनकी उपस्थिति के लिए मजबूर करने की शक्ति को अदालतों ने भी बरकरार रखा है। हाल ही में, अजीत मोहन एवं अन्य बनाम राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली की विधान सभा एवं अन्य [2021 INSC 324- WP(C)1088/2020] मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने दिल्ली विधानसभा की समिति से जुड़े एक मामले में विधानसभा और उसकी समितियों की इन शक्तियों को बरकरार रखा है।

श्री अरविंद केजरीवाल, श्री मनीष सिसोदिया, श्री राम निवास गोयल और श्रीमती राखी बिड़ला ने भी सचिवालय के साथ अपने पत्राचार में उल्लेख किया था कि कार्यवाही को स्थगित करना सदन की पिछली समितियों द्वारा अपनाई गई परंपरा के साथ–साथ संसद की समितियों की परंपरा के अनुरूप था। यह एक तथ्य है कि समितियों ने पार्टियों या गवाहों के अनुरोधों को समायोजित करने के लिए अपनी बैठकें स्थगित की हैं, यदि वास्तविक आधार पर अनुरोध किया गया हो। हालांकि, पार्टियों के अनुरोध पर इस आधार पर बैठक स्थगित करने की कोई परंपरा या मिसाल नहीं है कि कोई अदालती मामला लंबित है, खासकर जब माननीय न्यायालय ने इस संबंध में कोई निर्देश पारित नहीं किया है।

पूर्व सदस्यों और गणमान्य व्यक्तियों के रूप में, जो 'फांसी घर' के खुलने से संबंधित घटनाओं से अच्छी तरह वाकिफ थे, यह उनका कर्तव्य था कि वे समिति के समक्ष उपस्थित हों और यह पता लगाने में समिति की सहायता करें कि क्या विधानसभा परिसर में कभी 'फांसी घर' मौजूद था। ऐसा न करके, कमेटी द्वारा उन्हें पर्याप्त अवसर और समय दिए जाने के बावजूद, उन्होंने कमेटी को सदन द्वारा सौंपे गए कर्तव्य को पूरा करने में बाधा डाली है। कमेटी ने उन्हें साफ तौर पर बता दिया था कि जिस आधार पर वे बैठक को टालने की मांग कर रहे थे, वह उचित नहीं था। ऐसी स्थिति में, इस कमेटी की राय में, श्री अरविंद केजरीवाल, श्री मनीष सिसोदिया, श्री राम निवास गोयल और श्रीमती राखी बिड़ला का कमेटी के सामने पेश न होना सदन और उसकी कमेटी का अपमान है।

सिफारिशें:

1. कमेटी सिफारिश करती है कि सदन श्री अरविंद केजरीवाल, श्री राम निवास गोयल, श्री मनीष सिसोदिया और श्रीमती राखी बिड़ला के खिलाफ उचित कार्रवाई करे, जैसा कि उचित समझा जाए, क्योंकि वे 13 नवंबर, 2025 और 20 नवंबर, 2025 को होने वाली विशेषाधिकार समिति की बैठकों में बिना किसी उचित कारण या कमेटी की अनुमति के जानबूझकर अनुपस्थित रहे।

2. जहां तक मुख्य मामले का सवाल है, जिसे माननीय अध्यक्ष महोदय ने कमेटी को 'फांसी घर' के अस्तित्व की प्रामाणिकता के संबंध में भेजा था, कमेटी पार्टियों और गवाहों की जांच जारी रखेगी और अगले सत्र में एक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी।

दिल्ली

दिनांक: 30.12.2025

(प्रद्युम्न सिंह राजपूत)
अध्यक्ष
विशेषाधिकार समिति

On 27.03.2026 Sh. Jitender Mahajan, Hon'ble Member moved the following Motion :

"This House having considered the Second Report (Interim Report) of the Committee of Privileges presented to the House on 23rd March' 2026 agrees with the recommendations of the Committee; This House holds Shri Arvind Kejriwal, Shri Manish Sisodia, Shri Ram Niwas Goel and Smt. Rakhi Birla in contempt of this House for, deliberately and purposefully defying the summons of the Committee of Privileges and not appearing before the Committee in its sittings held on 13th November 2025 and 20th November 2025; and Therefore, this House condemns the actions of Shri Arvind Kejriwal, Shri Manish Sisodia, Shri Ram Niwas Goel and Smt. Rakhi Birla and admonishes them with a warning that they should be more careful in future and respect the directions of the Assembly and its Committees."

Sh. Raj Kumar Bhatia and Sh. Neeraj Basoya, Hon'ble Members also expressed their views.

The Motion was put to vote and adopted by voice-vote